भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना

1 अधिसूचना क्रमांक 11658-दस-65 - भारतीय वन अधिनियम, 1927 (संख्या 16 सन् 1927) की मध्य प्रदेश राज्य को लागू हुये रूप में धारा 80-क की उपधारा (3) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतदद्वारा मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग के उपसचिव को उक्त धारा के अन्तर्गत अपील सुनने के लिये अपीलीय प्राधिकरण नियुक्त करती है ।

[मध्य प्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 19-11-65 पृष्ठ 1587 पर प्रकाशित हुई ।]